राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

कमांक:– मुसप्र/2016/ 1165 दिनांक:–3/2/16

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड झुंझुनू के अधीन चूरू शहर में अनावंटित/सरप्लस आवासों को खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत किराया कय/नगद भुगतान पद्वति के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति हेतु उप आवासन आयुक्त वृत–द्वितीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय के प्रस्तावानुसार **विशेष अभियान 2015–16** के तहत् किये जाने की स्वीकृति एतद्वद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क.स.	आय वर्ग	आवास नम्बर	कुल संख्या
1	MIG-A	3/120, 4/2, 4/3, 4/72, 4/73, 4/75, 4/76, 4/77, 4/79, 4/81, 4/82, 4/83, 4/84, 4/85, 4/86, 4/88, 4/89, 4/90	18
2	MIG-B	1/44, 1/54, 2/94, 2/100, 2/102, 2/105	06
3	HIG	1/10, 1/12, 4/91, 4/92, 4/93, 4/94, 4/96, 4/98, 4/99, 4/102, 4/103, 4/105	12
		कुल	36

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत–द्वितीय, जयपुर निम्न शर्तो के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से आवासो का निस्तारण करना सुनिश्चित करे :–

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासो का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. आवासो का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं उन्हे विधिवत निरस्त किया जा चुका है।
6. आवेदको द्वारा नकद/किराया कय पद्वति से आवेदन किये जाने की स्थिति में यदि दोनो पद्वति से आवेदन प्राप्त होते है तो नकद भुगतान पद्वति के आवेदक को वरियता दी जायें।
7. मण्डल द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.33/मुसप्र/खुली ब्रिकी 281 दिनांक 24.08.98 /10–11/2107 दिनांक 12.11.10 की पालना सुनिश्चित की जावें।

उक्त आदेशों को पत्रावली के पैरा 25–26/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)

विशेष अभियान 2015-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), प्रथम/द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–झुझुंनू, रा0आ0म0 झुंझुंनू।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबन्धक (मु0)